(137)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर 47 / 2022 प्रा.पत्र / 2022 जीसीएमएस नं0 106 / 2022	तारीख दायरा 01.07.2022	तारीख निर्णय 09.01.2026

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंतजलि आरोग्य केन्द्र गांधी गौशाला के पास जयपुर रोड टोंक जिला टोंक निवासी गांधी गौशाला के पास जयपुर रोड टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001

2–श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री जय भगवान प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स बी–212, रोड नं. 6 आई.पी.आई.ए. कोटा राज.। पिनकोड–324006 निवासी 288 / 35, गली नं. 1, व्यायामशाला के पास जनता कॉलोनी रोहतक हरियाणा। पिनकोड–124001

3–श्री दीनानाथ जायसवाल पुत्र श्री पुरूषोत्तम जायसवाल नॉमिनी मैसर्स पंतजलि नैचुरल बिस्किट प्रा. लि. खसरा नं. 450–452, ग्राम लोधीवाला, परगना, भगवानपुर तह. रूडकी, हरिद्वारा उत्तराखण्ड। पिनकोड–247661 निवासी संत नगर सांई मन्दिर के पास छुटमलपुर, सहारनपुर, उत्तरप्रदेश। पिनकोड–247662

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 श्री पवित्र मिश्रा एड.
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 श्री भानूप्रताप सिंह व श्री गिरीराज गोयल एड. उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 09.1.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.01.2022 को समय दोपहर 12:02 पी.एम. पर मैसर्स पंतजलि आरोग्य केन्द्र गांधी गौशाला के पास जयपुर रोड टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पंतजलि आरोगय केन्द्र गांधी गौशाला के पास जयपुर रोड टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** दुकान की रैक में 42–42 ग्राम के 25 नग मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखे **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** जिसके बैंच नम्बर डीएन21/पीआर6 एवं पैंकिग की दिनांक 19.04.2021 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 42–42 ग्राम के 20 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** 42–42 ग्राम के 20 नग मूल पैक में से 5–5 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2994 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2994 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

विक्रेता श्री मदन लाल टांक पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल टांक एफ.बी.ओ. मैसर्स पंतजलि आरोगय केन्द्र गांधी गौशाला के पास जयपुर रोड टोंक जिला टोंक ने मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स बी–212, रोड नं. 6 आई.पी.आई.ए. कोटा राज. का खरीद बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स पंतजलि नैचुरल बिस्किट प्रा. लि. खसरा नं. 450–450, ग्राम लोधीवाला, परगना, भगवानपुर तह. रूडकी, हरिद्वारा उत्तराखण्ड का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए/2022/238 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/13/एक्ट/2022/26 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कूकिज कन्ची पंतजलि ब्राण्ड (Cookies Crunchy Cocount Patanjali Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

140

धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी सं. 3 से क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 3 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.1.26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन [illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज